न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी — जगमेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 85/2018 राजस्व वाद

01 मोहन रावत पिता हीरा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी—कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
02 धन्ना रावत पिता हीरा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी—कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

— वादी

बनाम

01. घीसासिंह पिता गांगा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी—कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।
02. पन्ना सिंह पिता गांगा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी—कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।
03. नानी उर्फ पत्नी पिता गांगा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी—कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0), — प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :—
1. श्री मनोहर लाल सेन —अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय— — प्र.सं. 01 लगायत 03
3. पैरोकार सरकार ——प्रति.सं. 04

:: निर्णय ::

दिनांक— 11.08.2025

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद कचोलिया पटवार हल्का नारेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर हक हिस्से की भूमि को विकसित करने मे, फसल, लगान आदि जमा कराने एवं ऋण लेने में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के बाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

सरहद कचोलिया पटवार हल्का नारेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता सख्या 26 के आराजी नम्बर—1538, 1540, 1562, 1570, 1571, 1572, 1671, 1682, 1682/1, 1864, 1865, 1866, 1886, 1887, 1887/1, 2663/1538 कुल किता 16 कुल रकबा 3.

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

6927 हैक्टयर भूमि मे वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के मध्य हक हिस्सो से मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर शामलाती रास्ते को दर्ज करते हुए निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1)खातेदार का नाम– मोहन पुत्र हीरा रावत हिस्सा जाति रावत सा0 कचोलिया खातेदार के नाम पर

क्र.स.	आराजी नम्बर	रकवा (हैक्टयर मे)
01.	1671	0.4806 हैक्टयर
02.	1682	0.6070 हैक्टयर
03.	1682/1	0.0126 हैक्टयर
04.	1865	0.0506 हैक्टयर
05.	1886	0.1265 हैक्टयर
योग	किता 05	1.2773 हैक्टयर

(2)खातेदार का नाम–चुना रावत पिता हीरा रावत जाति रावत हिस्सा 1/6 सा0 कचोलिया खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकवा (हैक्टयर मे)
01.	1538	0.5438 हैक्टयर
02.	1540	0.7335 हैक्टयर
03.	2663/1538	0.1897 हैक्टयर
योग	किता 03	1.4670 हैक्टयर

(3)खातेदार के नाम– घीसा सिंह, पन्ना सिंह पिता गांगा, माली देवी पत्नी गांगा रावत जाति रावत सा0 कचोलिया रहन जी.एस.एस. नारेली खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	3459/2	0.0300 हैक्टयर
योग	किता 01	0.0300 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी उक्तानुसार डिकी जारी हो खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।
यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

मुकदमा नम्बर 38 / 2019 राजस्व वाद

01. मोहन रावत पिता हीरा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी–कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
02. चुना रावत पिता हीरा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी–कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

— वादी

बनाम

01. पीराসিंह पिता गांगा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी–कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0) ।
02. पन्ना सिंह पिता गांगा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी–कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0) ।
03. माली देवी पत्नी पिता गांगा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी–कचोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0) ।
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0),

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

वादीगण की ओर से श्री कमलेश मेहता, एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 अनुपस्थित की
...थति मे इस वाद के आज दिनांक 11.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर
...न दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्च लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि
तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी

सरहद कचोलिया पटवार हल्का नारेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला
...ड़ा (राज0) के खाता सख्या 26 के आराजी नम्बर–1538, 1540, 1562, 1570, 1571, 1572, 1671,
1682 / 1, 1864, 1865, 1866, 1886, 1887, 1887 / 1, 2663 / 1538 कुल किता 16 कुल रकबा 3.
हैक्टयर भूमि मे वादी एंव प्रतिवादीगण सख्या 01 लगायत 03 के मध्य हक हिस्से से मिट्स एण्ड
... के आधार पर शामलाती रास्ते को दर्ज करते हुए निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार
...ो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–
...दार का नाम– मोहन पुत्र हीरा रावत हिस्सा जाति रावत सा0 कचोलिया खातेदार के नाम पर

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1671	0.4806 हैक्टयर
1682	0.6070 हैक्टयर
1682 / 1	0.0126 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

क्षैत्र ज्ञानगढ, तहसील करेडा, जिला–भीलवाडा राजस्थान की सरहद में जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या नये 26 व पुराना 26 में

04.	1865	0.0506 हैक्टयर
05.	1886	0.1265 हैक्टयर
योग	किता 05	1.2773 हैक्टयर

(2)खातेदार का नाम– चुना रावत पिता हीरा रावत जाति रावत हिस्सा 1/6 सा0 कचोलिया खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टयर मे)
01.	1538	0.5438 हैक्टयर
02.	1540	0.7335 हैक्टयर
03.	2663/1538	0.1897 हैक्टयर
योग	किता 03	1.4670 हैक्टयर

(3)खातेदार के नाम– धीसा सिंह, पन्ना सिंह पिता गांगा, माली देवी पत्नी गांगा रावत जाति रावत सा0 कचोलिया रहन जी.एस.एस. नारेली खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टयर मे)
01.	3459/2	0.0300 हैक्टयर
योग	किता 01	0.0300 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)